Australian Government
Australian Taxation Office

Superannuation basics - Hindi

- https://www.ato.gov.au/General/Other-languages/In-detail/Hindi/Superannuation-basics---Hindi/
- Last modified: 02 Apr 2020
- QC 62048

आपके सुपरएनुएशन से सम्बन्धित बुनियादी जानकारी

निम्नलिखित से सम्बन्धित एक बुनियादी संदर्शिका:

- सुपरएनुएशन क्या है?
- इसके लिए बचत कैसे करें
- इसे बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं।

सुपरएनुएशन क्या है?

सुपरएनुएशन, या 'सुपर', आपके कामकाजी जीवन के दौरान आपके नियोक्ता द्वारा आपको लिए जमा कराए जाने वाला धन है ताकि आप काम से रिटायर (सेवा-निवृत्त) होने के बाद जीवन व्यतीय करने में इसका प्रयोग कर सकें।

सुपर आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जितनी अधिक बचत करते हैं, आपके पास अपनी रिटायरमेंट के लिए उतना अधिक धन होगा।

आप कुछ परिस्थितियों में अपने सुपर धन को निकाल सकते हैं - उदाहरणत:, जब आप रिटायर होते हैं या आपकी आयु 65 साल की हो जाती है।

मैं सुपर की बचत कैसे करूँ?

अधिकांश लोगों के लिए, आपका नियोक्ता आपके लिए एक सुपर एकाउंट में 'कंट्रीब्यूशन्स (योगदान)' का भुगतान करता है। इसे 'सुपर गारंटी' कहते हैं। वे आपकी आमदनी और वेतन के अतिरिक्त इन योगदानों का भुगतान करते हैं। इस संबंधी कानून होते हैं कि आपके नियोक्ता को कितने सुपर का भुगतान करना चाहिए।

सामान्यत:, आपके नियोक्ता को आपके सुपर का भुगतान करना चाहिए यदि आपकी:

- आयु 18 साल या इससे अधिक है, और आपको एक कैलेंडर महीने में $450 या इससे अधिक की राशि (टैक्स से पहले) का भुगतान किया जाता है
- आपकी आयु 18 साल से कम है, और आपको एक कैलेंडर महीने में $450 या इससे अधिक की राशि (टैक्स से पहले) का भुगतान किया जाता है और आप सप्ताह में 30 घंटे से अधिक काम करते हैं।

यह इस बात पर लागू करता है कि क्या आप कैजुअल, पार्ट-टाइम या फुल-टाइम घंटों के लिए काम करते हैं, और क्या आप एक टेम्परारी (अस्थायी) निवासी हैं। आप उस स्थिति में पात्र हो सकते हैं यदि आप एक ऐसे कांट्रेक्टर हैं जिन्हें मुख्यत: लेबर (श्रम) के लिए भुगतान किया जाता है, भले ही आपके पास ऑस्ट्रेलियन बिजनस नम्बर (ABN) हो।

सुपर में पैसे का भुगतान कैसे किया जाता है?

1 जुलाई 2014 से, आपके नियोक्ता के लिए यह ज़रूरी है कि वह आपके सुपर में आपके सामान्य समय की आमदन के लिए न्यूनतम 9.5% का भुगतान करे। यह आने वाले वर्षों में धीरे-धीरे बढ़ेगा।

सामान्य समय की आमदन वह होती है जिसे आप काम करने के सामान्य घंटों के दौरान कमाते हैं, इसमें ओवर-अवार्ड भुगतान, निश्चित बोनस, भत्ते, और कुछ वैतनिक अवकाश शामिल हैं। ओवरटाइम घंटों के लिए भुगतानों को सामान्यत: सामान्य समय की आमदन में शामिल नहीं किया जाता है।

आप अपनी सुपर सेविंग्स में अपने खुद के पैसे भी डाल सकते हैं, और कभी-कभी ऑस्ट्रेलियाई सरकार भी इसमें पैसे डालती है।

यदि मेरा नियोक्ता सही सुपर का भुगतान नहीं कर रहा है तो क्या होता है?

अपने नियोक्ता से बात करें। उनसे पूछें कि वे कब-कब आपके सुपर का भुगतान कर रहे हैं, वे किस फंड में भुगतान कर रहे हैं, और वे कितना भुगतान कर रहे हैं।

आप अपने सुपर फंड से अपनी अंतिम मैम्बर स्टेटमेंट की जांच कर सकते हैं या अपने फंड से संपर्क कर सकते हैं ताकि यह पुष्टि की जा सके कि आपके नियोक्ता ने आपके सुपर का भुगतान किया है।

यदि आपको अभी भी लगता है कि आपका नियोक्ता आपके लिए उस सुपर का भुगतान नहीं कर रहा है जिसके लिए आप पात्र हैं, तो आप हमें 13 10 20 पर फोन कर सकते हैं।

क्या मुझे उन प्रमोटर्स से सावधान रहना चाहिए जो सुपर तक समय से पहले पहुँच की पेशकश करते हों?

उन प्रमोटर्स से सचेत रहें जो आपके रिटायर होने से पहले आपकी सुपर सेविंग्स तक समय से पहले पहुँच प्राप्त करने के लिए विभिन्न योजनाएँ पेश करते हों। इन योजनाओं के प्रमोटर्स आपको बताएँगे कि वे ऋण चुकाने, घर या कार खरीदने, या यहाँ तक कि छुट्टियों पर जाने जैसे कारणों के लिए आपको आपकी सुपर सेविंग्स तक पहुँच प्राप्त करने में आपकी मदद कर सकते हैं। ये योजनाएँ गैर-कानूनी होती हैं और यदि आप इनमें भाग लेते हैं तो भारी जुर्माने लागू हैं।

उदाहरण - फिल जाल में फंसने से बाल-बाल बचता है

पिछले कुछ महीनों से मैं कार खरीदने के लिए पैसों की बचत करता आ रहा हूँ। मेरे एक सहकर्मी ने मुझे अपने दोस्त के बारे में बताया, जो कार का भुगतान करने में सहायता करने के लिए मेरे सुपर धन में से कुछ धन निकालने में मेरी सहायता कर सकता था।

खुशकिस्मती से, मैंनें ATO की वेबसाइट की जांच की और मुझे यह पता लगा कि यह गैर-कानूनी है। यदि मैं पैसे निकालता हूँ तो इनपर 45% टैक्स लगेगा। मुझे जुर्माने भी होते और इसके अलावा कारावास की सजा भी होती - एक बहुत भारी गलती।

यह भी देखें:

- ato.gov.au/otherlanguages

मैं सुपर फंड का चयन कैसे करूँ?

अधिकांश लोग उस सुपर फंड का चयन कर सकते हैं जिसमें वे अपने योगदान डाले जाना चाहते हैं। यदि आप पात्र हैं, तो आपके नियोक्ता के लिए यह ज़रूरी है कि वह आपके द्वारा उनके लिए काम करना शुरू करने के 28 दिन में आपको एक Standard choice फॉर्म दें, ताकि आप लिखित तौर पर वह चयन कर सकें। यदि आप किसी फंड का चयन नहीं करते हैं, तो आपका नियोक्ता आपके लिए फंड का चयन करेगा।

सभी नियोक्ताओं का एक नामांकित सुपर फंड, या 'डिफॉल्ट फंड' होता है, जहाँ वे अपने उन कर्मचारियों के लिए सुपर गारंटी भुगतान करते हैं जिन्होंने पसंदीदा फंड का चयन नहीं किया हो।

यदि आप चाहते हैं कि आपके योगदान किसी मौजूदा सुपर एकाउंट में डाले जाएँ परन्तु आपको अपने सुपर फंड एकाउंट के विवरण याद नहीं हैं, तो आप अपने सभी सुपर एकाउंट्स को देखने के लिए myGov का प्रयोग कर सकते हैं।

मैं अपनी सुपर सेविंग्स पर कैसे नज़र रखूँ?

यह सुनिश्चित करने से कि आपके सुपर फंड के पास आपका टैक्स फाइल नम्बर (TFN) है, अपने सुपर पर नज़र रखना, इसे एक एकाउंट से दूसरे एकाउंट में डालना, और अपने नियोक्ता या सरकार से सुपर भुगतान प्राप्त करना आसान होगा।

आप आपको भेजी गई स्टेटमेंट्स देखकर यह जांच कर सकते हैं कि क्या आपके फंड के पास आपका TFN है।

myGov का प्रयोग करके अपने सुपर पर नज़र रखें

आप myGov एकाउंट खोल सकते हैं और इसे ATO से लिंक कर सकते हैं ताकि आप निम्नलिखित कर सकें:

- अपने सभी सुपर एकाउंट्स के विवरण देखना, इसमें वे सुपर एकाउंट शामिल हैं जिनके बारे में आप जानकारी खो चुके हैं या इन्हें भूल चुके हैं
- ATO द्वारा रखे सुपर का पता लगाना। यदि सरकार, आपके सुपर फंड या आपके नियोक्ता को कोई ऐसा एकाउंट नहीं मिलता है जिसमें आपका सुपर ट्रांसफर किया जा सके, तो हम आपकी ओर से इसे संभाल कर रख सकते हैं
- आपके सुपर को आपके पसंदीदा सुपर एकाउंट में ट्रांसफर करके एक से अधिक सुपर एकाउंट्स को संयोजित कर सकते हैं। यदि यह एक फंड से दूसरे फंड में किया जाने वाला ट्रांसफर है, तो सामान्यत: तीन कामकाजी दिनों में इसपर कार्यवाही की जाएगी।

अगले चरण:

- myGov एकाउंट खोलें या इसमें लॉग इन करें और इसे ATO से लिंक करें
- हमारी ऑनलाइन सेवाओं का प्रयोग करें
- ato एप्प के माध्यम से myGov तक पहुँच प्राप्त करें

मैं अपने सुपर को कैसे बढाऊँ?

आपके नियोक्ता द्वारा भुगतान किए जाने वाले योगदानों के अलावा, आप अपने सुपर में अपने खुद के योगदान डाल सकते हैं। आप अपनी टैक्स से पहले की आमदनी से सुपर में 'सैलरी सेक्रीफाइस' कर पाने, या टैक्स के पश्चात की आमदनी से सुपर में योगदान देने में सक्षम हो सकते हैं।

यदि आप सैलरी सेक्रिफाइस करके योगदान करना चाहते हैं, तो हो सकता है कि आपका नियोक्ता आपकी नई

कम हुई आमदनी के आधार पर सुपर गारंटी योगदान जमा करे।

अतिरिक्त टैक्स का भुगतान किए बिना हर वित्तीय वर्ष में आप अपने सुपर में कितनी राशि का योगदान दे सकते हैं, इसपर सीमाएँ लागू होती हैं जिन्हें 'कैप्स' कहते हैं। यदि आप इन कैप्स से अधिक का योगदान देते हैं, तो हो सकता है कि आपको अतिरिक्त टैक्स का भुगतान करना पड़े। यदि आप अपने सुपर में $25,000 से अधिक का योगदान देने की योजना बना रहे हैं (नियोक्ता के योगदान सहित), तो किसी उचित रूप से योग्यता-प्राप्त व्यवसायिक से सलाह लें।

सरकारी सुपर योगदान

यदि आप निम्न-आमदनी या माध्यमिक-आमदनी कमाने वाले व्यक्ति हैं, तो आप ऑस्ट्रेलियाई सरकार की ओर से सुपर योगदानों के पात्र हो सकते हैं।

यह भी देखें:

- सरकारी सुपर योगदान

मैं अपने सुपर बेनेफिट्स तक पहुँच कैसे प्राप्त करूँ?

आम-तौर पर, आप रिटायर होने पर अपने सुपर धन तक पहुँच प्राप्त कर सकते हैं। परन्तु, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जिनमें आप समय से पहले अपने सुपर तक पहुँच प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि गंभीर वित्तीय मुश्किलें और विशिष्ट चिकित्सीय समस्याएँ।

यदि आपको किसी वैध कारण संभाल कर रखे अपने सुपर तक समय से पहले पहुँच की ज़रूरत हो, तो आवेदन करने से पहले अपने सुपर फंड से पूछें कि क्या आप इसतक पहुँच प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं या नहीं।

ऑस्ट्रेलिया छोड़कर जाने वाले अस्थायी निवासी

यदि आप ऑस्ट्रेलिया में काम करने वाले एक अस्थायी निवासी हैं और आप सुपर के लिए पात्र हैं, तो आपके नियोक्ता को आपके लिए सुपर गारंटी योगदान करने होंगे। आपके ऑस्ट्रेलिया छोड़कर जाने पर आपको आपके सुपर धन का भुगतान किया जा सकता है। इस भुगतान को डिपॉर्टिंग ऑस्ट्रेलिया सुपर पेमेंट (DASP) कहते हैं।

न्यू जीलैंड के नागरिक और ऑस्ट्रेलिया के स्थायी नागरिक इस भुगतान के लिए पात्र नहीं होते हैं।

यह देखने के लिए कि क्या आप इसके लिए पात्र हैं या नहीं, और ऑनलाइन तरीके से या पेपर आवेदन फॉर्म डाउनलोड करके DASP के लिए आवेदन करने के लिए ato.gov.au/departaustralia देखें।

विदेश से सुपर का धन

यदि आप विदेश से अपने खुद के पैसे या पेंशन फंड ला रहे हैं, तो हो सकता है कि ऐसे विशेष टैक्स नियम हों जिन्हें आपको जानने की ज़रूरत हो। अपने वित्तीय सलाहकार या माइग्रेशन एजेंट से बात करें।

और अधिक जानकारी

यदि आप सुपर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो ato.gov.au/super देखें या हमें 13 10 20 पर फोन करें।

यदि आप अच्छे से अंग्रेज़ी नहीं बोलते हैं और आप किसी टैक्स अधिकारी से बात करना चाहते हैं, तो अनुवाद एवं दुभाषिया सेवा को अपनी कॉल में सहायता करने के लिए 13 14 50 पर फोन करें।

Our commitment to you

We are committed to providing you with accurate, consistent and clear information to help you understand your rights and entitlements and meet your obligations.

If you follow our information and it turns out to be incorrect, or it is misleading and you make a mistake as a result, we will take that into account when determining what action, if any, we should take.

Some of the information on this website applies to a specific financial year. This is clearly marked. Make sure you have the information for the right year before making decisions based on that information.

If you feel that our information does not fully cover your circumstances, or you are unsure how it applies to you, contact us or seek professional advice.

Copyright notice

© Australian Taxation Office for the Commonwealth of Australia

You are free to copy, adapt, modify, transmit and distribute this material as you wish (but not in any way that suggests the ATO or the Commonwealth endorses you or any of your services or products).